

प्रेसनोट दिनांक 15.04.2024

- दिनांक 14.04.2024 को वादी उ०नि० श्री जगन्नाथमणि त्रिपाठी थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. चन्द्रभान आजाद पुत्र शिवराम आजाद नि० मतवरिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा, 2. पवन कुमार पुत्र नन्दलाल नि० बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा, 3. चाँद प्रसाद पुत्र रामप्रसाद नि० बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा 4. लवकुश पुत्र हरीशचन्द्र नि० उपरोक्त, 5. सत्यदेव पुत्र रामाधार नि० पूरेपवार थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा सभी गिर० अभि०गण द्वारा डकैती की योजना बनाते समय पकड़े जाना तथा अभि० चन्द्रभान आजाद से 01 देशी तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा अभि० पवन से 01 देशी तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा अभि० चाँद प्रसाद से से 01 सब्ल तथा अभि० लवकुश से 01 प्लास तथा अभि० सत्यदेव से 01 पेचकस बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 199/24 धारा 399, 402 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 14.04.2024 को वादी उ०नि० श्री फखरुद्दीन थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विक्रम निषाद पुत्र विक्रमजीत नि० बछरामपुर थाना को० बीकापुर, अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 155/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 14.04.2024 को वादी उ०नि० श्री फखरुद्दीन थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अजय निषाद पुत्र ओमप्रकाश निषाद नि० बछरामपुर थाना को० बीकापुर, अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 156/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 14.04.2024 को वादी उ०नि० श्री अविनाश कुमार त्रिपाठी थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सत्येन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह नि० विनायकपुर थाना पूराकलन्दर, अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 157/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 14.04.2024 को वादी उ०नि० श्री संजय कुमार यादव, थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमन यादव पुत्र श्यामलाल नि० खडभेड़पुर थाना इनायतनगर, अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 15 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 162/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।